न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

1. दलपतसिंह पुत्र श्री तखतसिंह, विक्रेता, मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही
   स्थाई पताः गारियावास, काछबा, तह0 गोगुन्दा, जिला– उदयपुर
2. श्री बांकेलाल पाण्डेय, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही
   स्थाई पताः नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– उदयपुर

F.S.S.Act Case No.03/2026

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

प्रतिवादी दलपतसिंह एवं प्रतिवादी दलपतसिंह के अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे

–: निर्णय :– **दिनांक 13 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्तगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर द्वारा दिनांक 22–8–2025 को मैसर्स पण्डित जी नक्की लेक, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ पनीर (लुज) का नमूना संख्या S-2785 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1391/Act/2025/1391 दिनांक 04–9–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्तगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 13–2–2026 को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) दलपतसिंह, इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं प्रतिवादी दलपतसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 2 (दो) बांकेलाल पाण्डेय को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि 13–02–2026 को उपस्थित नही हुये एवं न ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी दलपतसिंह ने जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। अतः प्रतिवादी दलपतसिंह के वकील को सुना जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है। प्रतिवादी दलपतसिंह के वकील ने बहस में यह व्यक्त किया कि मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू में प्रतिवादी दलपतसिंह नौकरी करता है एवं उसका मालिक प्रतिवादी बांकेलाल पाण्डेय है। उनका व्यापार छोटा सा है। अतः कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

22–8–2025 को समय 12–45 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– गारियावास, तह0 गोगुन्दा, जिला– उदयपुर उपस्थित मिले। श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के निरीक्षण के दौरान मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के अन्दर फ्रीज में प्लास्टिक की पन्नी में करीबन 1.250 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन के उपयोग हेतु सब्जियां व स्नेक्स बनाने हेतु रखे हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह को गवाह श्री अभिलाश पाण्डेय, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू के अन्दर फ्रीज में आमजन के उपयोग हेतु पन्नी में रखे हुये खाद्य पदार्थ पनीर में से 01 (एक) किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 350/– (रुपये तीन सौ पचास मात्र) प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा एक किलोग्राम पनीर को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक की बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक नमूना बोतल में फार्मेलीन की 20–20 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना बोतल को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2785, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ पनीर आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ पनीर के चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा पनीर की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह व उक्त गवाह तथा श्री धर्मवीर, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर ने दिनांक 27–8–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील

.......पेज तीन पर

न्यायालय प्राति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्राo. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001.

बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 22–8–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धर्मवीर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह से खाद्य पदार्थ पनीर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ पनीर के नमूना संख्या S-2785 की प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1391/Act/2025/1391 दिनांक 04–9–2025 में खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही का मालिक प्रतिवादी संख्या 2 (दो) बांकेलाल पाण्डेय है एवं मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू में प्रतिवादी दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह, नौकरी करता है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी बांकेलाल पाण्डेय की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला–सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दलपतसिंह पुत्र तखतसिंह द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ पनीर (नमूना संख्या S-2785) के विक्रय हेतु प्रतिवादी बांकेलाल पाण्डेय, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, स्थाई पताः नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, बांकेलाल पाण्डेय, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, मैसर्स पण्डित जी नक्की लॉज, नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 13 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)